न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/76/2024	2024/192	25.07.2024	10.12.2024

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री देवकरण मीना, निवासी ग्राम सकट, तह0 राजगढ जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवकरण मीना, निवासी ग्राम सकट, तह0 राजगढ जिला अलवर हाल निवासी 49 मत्स्य नगर सी—ब्लॉक राजगढ रोड अलवर राज0।
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवकरण मीना, निवासी ग्राम सकट, तह0 राजगढ जिला अलवर हाल निवासी फ्लैट नं0 220 इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट पाकेट नं0 03 सेक्टर—12 द्वारका नई दिल्ली 110075।

— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—

01—श्री सचिन खत्री —वकील प्रार्थी

02—श्री अमर चंद चौधरी —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के प्रकरण बउनवान बिजेन्द्र कुमार बनाम जगदीश प्रसाद वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 22.07.2024 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़, जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बअनुवान बिजेन्द्र कुमार बनाम् जगदीश प्रसाद वगैरा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.7.2024 नियत है। उक्त राजस्व वाद में अप्रार्थी सं. 2 बतौर तरतीबी प्रतिवादी दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा आराजी खाता सं. 316 हाल आराजी खसरा नं. 190 रकबा 0.43 है., 2974 रकबा 0.70 है., 2975 रकबा 0.54 है., 3122 रकबा 0.62 है. 333 रकबा 0.18 है., 543ध1 रकबा 0.16 हे., 658 रकबा 0.29 है. कुल किता 7 रकबा 2.92 हे. वाके ग्राम सकट व खाता सं. 314 हाल आराजी खसरा नं. 2973 रकबा 0.90 है. वाके ग्राम सकट को तकसीम किये जाने वास्ते पेश किया गया है, जिस बाबत मिन प्रार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्ययायलय में विस्तृत तथ्यों पर जवाब पेश किया गया जाकर वर्णित किया गया है कि खसरा नं. 2973 रकबा 0.90 है. में से 69 एयर भूमि तरफ दक्षिण की प्रार्थी ने 30 वर्ष पूर्व दीगर लोगों से खरीद की है तथा उक्त खसरा में साढे तिहेतरी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 तरफ दक्षिण पर लम्बे समय से काबिज है तथा स्वयं की लागत से उक्त आराजी में बोरिंग कराई हुई है एवं बोर के लिए स्वयं के नाम से विद्युत कनैक्शन प्राप्त किया हुआ है। शेष आराजी की बाबत कोई विवाद नहीं है मौके पर पूर्व से ही बंटवारा हो रहा है, 1/3—1/3 बंटा हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी माननीय सीमा खेतान के द्वारा मिन प्रार्थी के जवाब व तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, ना ही इस बाबत कोई रिपोर्ट हल्का पटवारी अथवा तहसीलदार से तलब फरमाई गई है। अप्रार्थी सं. 1 सीधे ही पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बिना किसी रोक टोक के आता जाता है, जिसकी खुले रूप में पीठासीन अधिकारी से बातचीत होती है, जिसके चलते अप्रार्थीगण के द्वारा गांव में भी मातहत अदालत के किसी आदेश से पूर्व ही यह एलानिया कहा जा रहा है कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हमारी जान पहचान की है, जिसके जरिये हम तो प्रार्थी की खरीदशदा भूमि खसरा नं. 2973 ग्राम सकट को भी तकसीम कराकर रहेंगे ताकि प्रार्थी तबाह व बर्बाद हो

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जावे। मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी अपना रवैया अप्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर किया जाकर खूली अदालत में कहा गया है कि वो प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी भूमि 2973 को भी तकसीम करेगी, जिसके चलते ही पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रार्थी द्वारा उनके समक्ष पेश प्रार्थना पत्रों को लगातार खारिज फरमाया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी साधारणतया उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में दो से तीन माह की तारीख पेशी मुकर्रिर करती है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 से मिल्लत होने के कारण प्रार्थी के प्रकरण में दो–तीन दिन की सुनवाई की जाकर प्रार्थी पर दबाव बनाया हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में मिन प्रार्थी को मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की आशा समाप्त हो चुकी है जिस कारण से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि न्याय होने के साथ न्याय होना प्रदर्शित भी होना चाहिए। मातहत न्यायालय से मिन प्रार्थी को न्याय की उम्मीद समाप्त हो गई है जिस कारण से मातहत अदालत में विचाराधीन प्रार्थना पत्र को सुनवाई वास्ते दीगर सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। मातहत अदालत में विचाराधीन प्रार्थना पत्र को मुन्तकिल नहीं किये जाने की सूरत में मिन प्रार्थी न्याय से वंचित होगा एवं प्रार्थी को नापूर्ति योग्य क्षति कारित होगी, जो तथ्य गौर श्रीमान है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के यहां विचाराधीन प्रकरण बअनुवान बिजेन्द्र कुमार बनाम् जगदीश प्रसाद वगैरा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सुनवाई वास्ते दीगर सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने वास्ते समुचित आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आराजी खाता सं0 316 हाल आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 2974 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 2975 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 3122 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 333 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 543ध्1 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 658 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 2.92 हैक्टेयर वाके ग्राम सकट व खाता संख्या 314 हाल आराजी खसरा नम्बर 2973 रकबा 0.90 हैक्टेयर वाके ग्राम सकट को तकसीम किये जाने वास्ते दावा पेश किया हुआ हैं। प्रार्थी किसी खसरा नंबर पर काबिज नही हैं, ना उसके द्वारा अपनी लागत से कोई बोरिंग करायी गयी हैं, ना ही मौके पर पूर्व से ही बंटवारा हो रहा हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के बंटवारा का दावा विचाराधीन हैं। जिसमें दोनों पक्षों से दावा, जवाब दावा एवं साक्ष्य हो चुकी हैं, एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रारम्भिक डिक्री की बहस हेतु नियत हैं। प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद कुरेजात रिर्पोट तलब की जायेगी, उसके बाद समस्त अधिकार आब्जेक्शन करने के सुरक्षित रहेगें। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा में मिथ्या, मनगढन्त तथ्य दर्ज किए हैं, किसी भी स्वतन्त्र आदमी का कोई हलफनामा पेश नही किया हैं, केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से मुन्तकिली प्रार्थनापत्र पेश किया गया हैं। अप्रार्थीगण की अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नही हैं, ना ही हम उनके बारे में कोई जानकारी रखते हैं, ना अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चौम्बर में बिना किसी रोक टोक आता जाता हैं, ना खुले रूप में पीठासीन अधिकारी से कोई बातचीत होती हैं, ना हम अप्रार्थीगण के द्वारा गांव में भी मातहत अदालत के किसी आदेश से पूर्व ही एलानिया कहा जा रहा हैं, कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ हमारी जान पहचान की हैं, ना कोई अन्य घटना या वार्तालाप प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण के मध्य कभी हुआ हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थी ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी व हम अप्रार्थीगण पर झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं। पीठासीन अधिकारी व हम अप्रार्थीगण के मध्य कोई मिल्लत नही हैं। ना तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी पर कोई दबाव बनाया हैं। प्रार्थी तहत अदालत से प्रकरण का निस्तारण नही होने देना चाहता हैं, और मुकदमा को देरीना करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा पेश किया गया हैं। अन्यथा प्रार्थी को अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र मुंतकिली मुकदमा पेश करने के लिए हम अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। प्रार्थी ने मुकदमा को मुन्तकिल किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित दर्ज नही किया गया हैं, मौखिक अभिवचन की कोई मान्यता नही हैं। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र दुर्भावनापूर्वक पेश किया हैं। मुकदमा मुन्तकिल

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

किये जाने का कोई औचित्य नही हैं, मुकदमा को तहत अदालत से किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से पक्षकारान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काफी परेशानी होगी, एंव काफी समय लगेगा, तथा अनावश्यक खर्चा व समय लगेगा। जिससे सुलभ, सस्ता एंव त्वरित न्याय प्राप्त होने में विलम्ब होगा। मुकदमा दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने से हम अप्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली हानि होगी। प्रार्थी को कोई नापूर्ति होने वाली हानि नही होती हैं। प्रार्थी मौजूदा सूरत में कोई अनुतोष पाने का नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी नही हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा मौजूदा सूरत में पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं, सव्यय खारिज फरमाया जावें। अतः वकील अप्रार्थीगण के वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ मय हर्जा खर्चा विशेष 50,000/– रूपये खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है कि हाजा न्यायालय का वाद बिजेन्द्र बनाम जगदीश मुकदमा संख्या 01/142/2023 विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2024 नियत है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 2 यहां तक स्वीकार है कि आराजी खाता संख्या 316 खसरा संख्या 190, 2974, 2975, 3122, 333, 543/1, 658 खाता संख्या 314 खसरा संख्या 2973, वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ में तकसीम किये जाने वास्ते पेश कया हुआ है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2024 नियत है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है निराधार आक्षेप लागये गये है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण विधि अनुरूप बिना कोई भेद भाव के कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी से कोई संबंध नहीं है। ना ही पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई दबाव है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय प्रक्रिया के अनुरूप व सी०पी०सी० के प्रावधानों के एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है एवं निराधार आक्षेप लागये गये है। उक्त प्रकरण विधि अनुरूप बिना कोई भेद भाव के कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से कोई संबंध नहीं है ना ही पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई दबाव है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय प्रक्रिया के अनुरूप व सी०पी०सी० के प्रावधानों के एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 5 स्वीकार है। पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थीगण से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तिकिल किया जाता है तो हमें को एतराज नही है। सी०पी०सी० के प्रावधानों के एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 7 बाबत कोर्ट फीस है जो काबिल गौर श्रीमान है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का अन्तिम पैरा बाबत् अनुतोष है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण विधि के अनुरूप सी०पी०सी० के प्रावधानों के एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान